

फर्द अहकाम

नियम- 26

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा मुकाम भादरा

ममता

बनाम

महेन्द्रसिंह आदि

किस्म मुकदमा :- 212 (आरटीएक्ट)

मुकदमा नम्बर :- 02 / 17.01.20233 सन :- 2023

तारीख हुम	हुम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम हुम की तारीख जारी हुआ
17.01.2023	<p>आज यह स्थगन प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पर सिगेदार की रिपोर्ट होने के बाद प्रकरण /प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई वकील प्रार्थी की बहस एव प्रस्तुत दस्तावेज , शपथ पत्र से सन्तुष्ट होकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी तक जारी की जाती है कि रोही मौज चक.1 के आर पी के खाता संख्या 94/80 की कुल 10.838हैव0 जो सयुक्त खातों में दर्ज का खाता विभाजन होने तक एवं सिचाई विभाग की भूमि उनके नाम दर्ज होने तक रहन बैय या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण नहीं किया जावे रिकार्ड एव मौका की यथास्थिति बनाई रखी जावे। बैंक ऋण (रोडा एक्ट) , रास्ता , खाला विवाद, वाफ्कोस कार्य DILRMP कार्य पर उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी वकील प्रार्थीगण तामिल हेतु सात दिवस में रजिस्टर्ड डाक की रसीद पेश करे एव आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित करे अन्यथा अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी। इस सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का उज्र एतराज हो तो असालतन या वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करे अप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस एवं साधारण नोटिस से तलब किया जाकर प्रत्रावली दिनांक 14.02.2023 को पेश हो</p> <p>14/2/23 - पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी-अज अदालत उपखण्ड भादरा दिनांक 14/2/23 को पेश हो</p> <p>04/04/23 दिनांक 03/04/23 को राजकीय अदालत में पत्रावली पेश की गई थी पीठासीन अधिकारी ने पत्रावली पूर्णतः किरीट 23/05/23 को पेश हो</p> <p>3/5/23 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी अज अदालत उपखण्ड में आगामी तारीख पेशी तक निवेदन किया पत्रावली पेश हो पर वापिस विद्या की भारी श फावली वमर में रुम की जान्त दाखिल करण थी</p>	<p>ममता</p> <p>उपखण्डाधिकारी (राजस्व), भादरा (जिला-हनुमानगढ़)</p>